जनपद शामली पुलिस

--मीडिया / सोशल मीडिया सेल शामली--

प्रेसविज्ञप्ति दिनांक 01.07.2022

थाना कोतवाली

थाना कोतवाली शामली पुलिस द्वारा मादक पदार्थ/गांजा तस्कर किया गिरफ्तार , कब्जे से 01 किलो 500 ग्राम अवैध गांजा बरामद।

आज दिनांक 01.07.2022 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शामली श्री अभिषेक के आदेशानुसार चलाये जा रहे मादक पदार्थों की तस्करी में लिप्त अपराधियों के विरुद्ध अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी नगर के पर्यवेक्षण में थाना कोतवाली शामली पुलिस द्वारा चौकिंग के दौरान 01 मादक पदार्थ तस्कर को 01 किलो 500 ग्राम अवैध गांजा सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। बरामदगी एवं गिरफ्तारी के संबंध में थाना कोतवाली शामली पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरणः-पुलिस द्वारा पूछताछ करने पर गिरफ्तार गिरफ्तार अभियुक्त ने बताया कि मे यह गांजा जनपद मेरठ से किसी अज्ञात व्यक्ति से खरीद कर हरियाणा ले जा रहा था। रास्ते मे काबडौत के पुल पुलिस ने पकड लिया।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तगणः-

1. पोपिंदर पाल सिंह पुत्र केहर सिंह निवासी अंजीर नगर थाना सिटी अबोहर जनपद फाजिल्का पंजाब।

बरामदगी का विवरणः-

1. अवैध गांजा 01 किलो 500 ग्राम।

<u>**थाना कैराना**</u>

<u>**थाना कैराना पुलिस द्वारा तीन तलाक के मामले में वांछित अभियुक्त गिरफ्तारः-**</u>

आज दिनांक 01.07.2022 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शामली श्री अभिषेक के आदेशानुसार चलाये जा रहे महिलाओं के विरूद्ध अपराध की रोकथाम एवं महिला अपराधों से संबंधित वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के अनुपालन में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन तथा क्षेत्राधिकारी कैराना के निकट पर्यवेक्षण में थाना कैराना पुलिस द्वारा सूचना पर तीन तलाक के मामले वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना कैराना पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

ज्ञात हो कि दिनांक 31.03.2022 को वादिया श्रीमती वादिया ने को उसके पति मोबीन द्वारा 3 बार तलाक शब्द बोलकर तलाक देने के सम्बन्ध में थाना कैराना पर लिखित तहरीर दी गयी थी। दाखिला तहरीर के आधार पर थाना कैराना पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया।

<u>**नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्त-**</u>

1- मोबीन उर्फ मोमीन पुत्र नजीर निवासी मौ0 जामिया नगर बाये वाली गली जनपद मु0नगर।

<u>माह जून 2022 में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन में जनपद के समस्त थानों / मॉनिटरिंग सेल द्वारा की गई प्रभावी पैरवी के चलते मा0 न्यायालय द्वारा 46 विभिन्न वादों में 53 अभियुक्तों को सुनाई गई कठोर सजायें एवं अर्थदण्ड से किया दण्डित।</u>

उत्तर प्रदेश शासन द्वारा 100 दिन की कार्य योजना के अन्तर्गत अधिक से अधिक वादों का निस्तारण कराकर सजा कराये जाने के अभियान के दृष्टिगत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन तथा अपर पुलिस अधीक्षक के निकट पर्यवेक्षण में थानों के पैरोकारों/कोर्ट मोहर्रिरों/सम्मन सेल/मॉनिटरिंग सेल द्वारा गवाहों को साक्ष्य के लिए ससमय पेश कराया गया। अभियोजन तथा मॉनिटरिंग सेल द्वारा शासन की प्राथमिकता के दृष्टिगत ऐसे वादों को चिन्हित कर प्रभावी पैरवी की गई। जनपद पुलिस व अभियोजन द्वारा प्रभावी रुप में कार्य करते हुए माह जून 2022 में 46 अभियोगों में 53 अभियुक्तों को सजा कराने में सफलता प्राप्त की है। जिनमें मा0 न्यायालय द्वारा 0 5 अभियुक्तगणों को आजीवन कारावास , 06 अभियुक्तगणों को 05 वर्ष से लेकर 09 वर्ष तक का कठोर कारावास तथा 43 अभियुक्तगणों को 05 वर्ष से कम के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है तथा साथ ही भारी अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। जिनका विवरण निम्नवत हैः-

1. पोक्सो में - 02 वादों में 02 अभियुक्तगणों को सजा कराई गई।
2. विशेष श्रेणी (हत्या/लूट) में - 06 वादों में 10 अभियुक्तगणों को सजा कराई गई।
3. आयुध अधिनियम में - 22 वादों में 22 अभियुक्तगणों को सजा कराई गई।
4. अन्य अपराध में - 16 वादों में 19 अभियुक्तगणों को सजा कराई गई।